



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

सतत भविष्य के लिए
भारत के कार्बन बाजार की सुरक्षा

सतत भविष्य के लिए भारत के कार्बन बाजार की सुरक्षा

संदर्भ

- औद्योगिक क्रांति से प्रेरित विकास का वृद्धि-आधारित मॉडल पहले ही पृथ्वी की सीमाओं को सुरक्षित स्तर से आगे बढ़ा चुका है।
- अब आवश्यकता है कि आर्थिक वृद्धि को पर्यावरणीय क्षति से अलग किया जाए, और राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार करते हुए पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करना चाहिए।

कार्बन बाजार के बारे में

- कार्बन बाजार उन संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट खरीदने और बेचने की अनुमति देता है — प्रत्येक क्रेडिट वायुमंडल से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने या हटाने का प्रतिनिधित्व करता है।
 - यह उद्योगों को उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ तकनीकों में निवेश करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- यह ग्रीनहाउस गैसों की प्रमाणित कमी या हटाने को दर्शाता है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, वनीकरण, कृषि वानिकी या बायोचार उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से मापा जाता है।
 - कंपनियाँ इन क्रेडिट्स को खरीद सकती हैं ताकि वे स्वच्छ संचालन की ओर संक्रमण करते समय अपने उत्सर्जन की भरपाई कर सकें।
- वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 175–180 मिलियन क्रेडिट्स सेवानिवृत्त किए जाते हैं, जिनमें अधिकांश नवीकरणीय और प्रकृति-आधारित परियोजनाओं से होते हैं।

भारत और कार्बन बाजार

- भारत का कार्बन बाजार ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत सक्षम किए गए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
- इसमें अनुपालन और स्वैच्छिक दोनों तंत्र शामिल हैं, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

संस्थागत ढांचा

- राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (MoEF&CC):** यह 21 सदस्यीय निकाय है, जो बाजार की शासन व्यवस्था की निगरानी करता है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):** यह बाजार को क्रियान्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुपालन की निगरानी करता है।
- भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS):** इसका उद्देश्य ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन तीव्रता मानक निर्धारित करना है, साथ ही स्वैच्छिक ऑफसेट्स को सक्षम करना है।
 - एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेन-देन की निगरानी करेगा, जिसे बायोमास, संपीड़ित बायोगैस एवं कम उत्सर्जन वाली धान की खेती के लिए मसौदा कार्यप्रणालियों द्वारा समर्थन प्राप्त है।

भारत के कार्बन बाजार की प्रमुख विशेषताएँ

- उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य:** एल्यूमीनियम, सीमेंट, पल्प एवं पेपर, और क्लोर-एल्कली जैसे क्षेत्रों में अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

- **क्षेत्रीय कवरेज:** बाजार प्रारंभ में आठ कार्बन-गहन क्षेत्रों को कवर करता है, जिनमें लौह और इस्पात, पेट्रोकेमिकल्स एवं वस्त्र उद्योग शामिल हैं।
- **ट्रेडिंग तंत्र:** वे संस्थाएँ जो अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन करती हैं, वे अतिरिक्त क्रेडिट्स उन संस्थाओं को बेच सकती हैं जो लक्ष्य से पीछे हैं, जिससे लागत प्रभावी डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलता है।
- **वैश्विक सरेखण:** भारत के अद्यतन NDCs का लक्ष्य 2030 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है।
 - कार्बन बाजार इस रणनीति का एक आधार स्तंभ है, जो भारत को उसके जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देता है।

चुनौतियाँ और सुरक्षा उपाय

- **भूमि अधिकार और सहमति:** कई कार्बन ऑफसेट परियोजनाएँ भूमि उपयोग परिवर्तन पर निर्भर करती हैं, जैसे वनीकरण या मृदा में कार्बन का संचयन।
 - ये परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों से भूमि अधिकार और सूचित सहमति प्राप्त किए बिना विस्थापन एवं शोषण का जोखिम उत्पन्न करती हैं।
 - CCTS ढांचे में भूमि अधिकार और राजस्व समानता पर सीमित ध्यान दिया गया है।
- **लाभ साझा करना:** कार्बन से प्राप्त राजस्व का न्यायसंगत वितरण आवश्यक है। हाशिए पर पड़े समूहों, विशेष रूप से छोटे किसान और आदिवासी समुदायों को वित्तीय लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** वैश्विक अनुभव दर्शाते हैं कि अपारदर्शी कार्बन बाजार ग्रीनवॉशिंग को उत्पन्न कर सकते हैं, जहाँ कंपनियाँ वास्तविक प्रभाव के बिना पर्यावरणीय लाभों का दावा करती हैं।
- **शोषण का जोखिम:** जब सूचना असमानता और शक्ति असंतुलन होता है, तो कार्बन परियोजनाएँ शोषण का शिकार बन सकती हैं।
 - भारत में किसान और आदिवासी समूह प्रायः जागरूकता या सौदेबाज़ी की शक्ति से वंचित होते हैं, जिससे अपारदर्शी अनुबंध एवं अनुचित लाभ वितरण होता है।
- **पर्यावरणीय अखंडता:** परियोजनाओं को वास्तव में उत्सर्जन को कम करना चाहिए, न कि केवल उसे कहीं और स्थानांतरित करना।
 - इसके लिए कठोर निगरानी, सत्यापन और प्रवर्तन आवश्यक है।

केस स्टडी

- केन्या के कार्बन परियोजना का अनुभव एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में कार्य करता है: यदि भूमि अधिकार, सहमति और न्यायसंगत वितरण की अनदेखी की जाती है, तो भारत का कार्बन बाजार हरित आवरण के अंतर्गत शोषणकारी पैटर्न को दोहरा सकता है।
- वनीकरण, पुनर्वनीकरण या कृषि ऑफसेट से जुड़ी परियोजनाएँ प्रायः पारंपरिक भूमि उपयोग से टकराती हैं।
 - ये पहले चराई, ईंधन लकड़ी की पहुँच और आजीविका को बाधित कर सकती हैं, विशेष रूप से आदिवासी एवं हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए, यदि मजबूत सहमति और लाभ साझा करने की व्यवस्था नहीं हो।

न्यायसंगत और पारदर्शी कार्बन बाजार की ओर

- अत्यधिक विनियमन नवाचार को बाधित कर सकता है, लेकिन कमजोर विनियमन शोषण को आमंत्रित करता है। समाधान एक संतुलित, पारदर्शी और अनुकूली नियामक संरचना में निहित है जो:
 - पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी देता है;
 - लाभ साझा करने की व्यवस्था को औपचारिक बनाता है;
 - स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति (FPIC) और भूमि अधिकार संरक्षण को शामिल करता है;
 - हितधारक परामर्श और सामुदायिक निगरानी को प्रोत्साहित करता है।
- निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणाली को ग्रीनवॉशिंग और झूठे दावों को रोकने के लिए सुदृढ़ होना चाहिए।
- ऐसे सुधार न केवल कार्बन बाजारों में विश्वास और अखंडता को बढ़ाएंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि जलवायु कार्रवाई न्याय को आगे बढ़ाए, असमानता को नहीं।

निष्कर्ष

- स्थायित्व बहिष्करण पर आधारित नहीं हो सकता। जलवायु कार्रवाई का आगामी चरण केवल उत्सर्जन लेखांकन से आगे बढ़कर सामाजिक सुरक्षा उपायों और सामुदायिक सशक्तिकरण को शामिल करना चाहिए।
- भारत जैसे देशों के लिए चुनौती और अवसर इस बात में निहित है कि वे ऐसे कार्बन बाजार डिज़ाइन करें जो कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हुए ग्रह की रक्षा करें।

Source: TH



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के कार्बन बाजार में नैतिक सुरक्षा उपायों को लागू करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये सुरक्षा उपाय हाशिए पर पड़े समुदायों और पर्यावरण के लिए एक अधिक समावेशी एवं सतत भविष्य में कैसे योगदान दे सकते हैं?

